न्यायालय उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– शैलेश खैरवा (आर0ए0एस0), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

दावा संख्या :– 19/2020

उनवान

आदर्शराज पुत्र स्व. श्री राजकुमार जाति मेघवाल निवासी वार्ड संख्या 19 मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू राजस्थान।

वादी

बनाम

1. महादेव पुत्र श्री नानगराम जाति जाट निवासी मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू ।
2. रूकमणी देवी पत्नी श्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू ।
3. रतनी देवी पुत्री श्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू ।
4. धापा देवी पुत्री श्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू ।
5. सुशीला देवी पुत्री श्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू ।
6. नेकीराम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू ।
7. भंवरलाल पुत्र श्रीरामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू ।
8. श्रीमती कमला पत्नी स्व. श्री राजकुमार निवासी मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू ।
9. शालिनीराज पुत्री स्व. श्री राजकुमार निवासी मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू ।
10. तहसीलदार झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री अशोक कुमार शर्मा :– वादी की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी :– राज्य सरकार की ओर से।

वाद बाबत घोषणा खातेदार एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अ0धा0 88,188 आर टी एक्ट

दिनांक :– 13.09.2021

निर्णय

वाद वादी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 9 की संयुक्त खातेदारी के कब्जा काश्त सुदा खेत खसरा नम्बर 63 रकबा 0.1800 हैक्टेयर व खसरा संख्या 64 रकबा 0.7600 हैक्टेयर कुल रकबा 0.9400 हैक्टेयर वाके ग्राम मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू स्थित है उक्त खेताय के साबिका खसरा संख्या 29/2 है उक्त खेताय पर टिनेसी एक्ट लागू होने के पूर्व से ही वादी के परदादा स्व. मिरजाराम पुत्र श्री मोती जी का कब्जा काश्त रहता चला आया है उनके देहान्त के पश्चात वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 9 का कब्जा काश्त निरन्तर चला आया है। उक्त खेताय पर वर वक्त टिनेसी एक्ट लागू होने से पूर्व ही वादी एवं उनके पूर्वजों का कब्जा कास्त होने के बावजूद भी इन खेताय की खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवंश दर्ज कर दिया गया। जब कि प्रतिवादी संख्या 1 महादेव पुत्र श्री नानगराम

उपखण्ड अधिकारी

और नाम का कोई व्यक्ति पिछले 70 वर्षो से ग्राम मण्डावा में निवास करता था। फिर भी राजस्व कर्मचारियों ने बिना कब्जे कास्त के प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 9 एवं उनके पूर्वजों का कब्जा कास्त उक्त विवादित खेताय पर वर वक्त टिनेसी एक्ट लागू होने के समय से ही चला आया होने से वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 9 बाई ओपेरेशन ऑफ लॉ स्वत ही उक्त विवादित खेताय के खातेदार कास्तकार हो चुके है किन्तु फिर भी राजस्व अधिकारियों द्वारा विवादित खेताय की जानकारी अभी तक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 9 तथा उनके पूर्वज के नाम दर्ज नहीं करने से वादी को विवादित खेताय की घोषणा हेतु उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ है जिसके लिए यह वाद पेश है। विवादित खेत खसरा संख्या 63 व 64 पर पिछले 65–70 वर्षो से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 9 तथा इनके पूर्वजों का कब्जा कास्त लगातार बिना किसी रोक टोक के रहता चला आया है इस कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 9 बाई एडवर्ज पजेशन भी विवादित खेताय के स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो चुके है इस कारण बाई एडवर्ज पजेशन भी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 9 को विवादित खेताय की खातेदारी घोषित किये जाने हेतु उक्त वाद पेश है। बिनाय वाद बहक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 9 विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 व 10 विवादित खेताय पर वादी एवं उसके पूर्वजों का कब्जा कास्त वर वक्त टीनेसी एक्ट तहत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 9 स्वतः खातेदार काश्तकार हो जाने एवं पिछले 65–70 वर्षो से बिना किसी रोकटोक के विवादित खेताय पर काबिज रहते चले आने से बाई एडवर्ज पजेशन भी खातेदार काश्तकार हो जाने के बावजूद भी अभी तक प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 9 को खातेदार दर्ज नही किये जाने के कारण समय पर बेमुकाम मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू उत्पन्न हुआ है। उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब देही तलब किया गया। प्रतिवादीगण 2 लगायत 9 के द्वारा जवाब दावा पेश किया कि मुताबिक वाद की प्रार्थना के दावा डिक्री कर दिये जाने पर प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 9 को कोई आपति नही होना अपने जवाब दावा में अंकित किया हैं । प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामील के न्यायालय में उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यावाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात वाद में वर्णित तथ्यों के बाबत रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार ने अपने अपने पत्र क्रमाक राजस्व/2021/951 दिनांक 09.04.2021 के द्वारा रिपोर्ट पेश की कि वाद पत्र में खसरा नम्बर 63 64 किता 2 रकबा 0.94 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में महादेव पुत्र नानगराम जाति जाट सा0देह खातेदार उप कृषक रामचन्द्र पिता मिर्जाराम जाति मेघवाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। मौके पर उपस्थित ने बताया कि उक्त भूमि पिछले काफी वर्षो से रामचन्द्र का कब्जा काश्त चला आ रहा था। रामचन्द्र की मृत्यु के पश्चात वर्तमान में उक्त भूमि पर इनके वारिसान का कब्जा काश्त बताते हुए रिपोर्ट पेश की गई है। हमने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करते हुए बहस वकील पक्षकारा पर बगौर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से 12 में वादी या वादी के पूर्वजों का नाम दर्ज नही है व खसरा गिरदावरी 2016 में रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा मीरजा पुत्र जीवण द्वारा काश्त दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2017 से 2020 में मीरजा पुत्र जीवण 3 बीघा 14 बिश्वा में उपकृषक दर्ज है व खसरा गिरदावरी 2021 से 2024 में मीरजा पुत्र मोती उप कृषक दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2033 से 2036 में रामचन्द्र पुत्र मिरजा चमार उप कृषक दर्ज होना स्पष्ट है। न्यायिक दृष्टांतो में राजस्थान उच्च न्यायालय एंव रेवेन्यू कोर्ट द्वारा यह अभि निर्धारित किया है कि यदि किसी व्यक्ति का कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने के समय अर्थात सम्वत 2012 में किसी कृषि भूमि पर साबित कर दिया जाता है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने से पूर्व व उक्त भूमि को काश्त करता रहा है तो

इस आधार पर उसे भूमि के खातेदार अधिकार प्राप्त हो जाते है। जो धारा 15 की श्रेणी में आता है। उसे खातेदार काश्तकार घोषित किया जा सकता है परन्तु इस प्रकरण में सम्वत 2009 से 2012 में कब्जा काश्त वादी का नही होना प्रस्तुत गिरदावरी से स्पष्ट है। साथ ही वादी द्वारा मिसल बंदोबस्त एवं सम्वत 2012–15 की जमाबंदी भी पेश नहीं की गई है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व में कब्जा काश्त साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं। इस प्रकार वादी का वाद पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों से सिद्व नही होता है उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी खारिज किया जाना न्यायालय मत पर उचित प्रतीत होता है। अत:

आदेश

वाद वादी सिद्व नही होने पर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफतर हों।

आदेश आज दिनांक 13.09.2021 को टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)
न्यायालय उपखंड अधिकारी,झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी:– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.)

नम्बर:– 19/2020

उनवान
आदर्शराज बनाम महादेव वगै0

दावा बाबत :–घोषणा खातेदार एवं स्थाई निषेधाज्ञा अ0धा0 88,188 आर टी एक्ट

दिनांक:– 13.09.2021

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार शर्मा एवं राज्य सरकार की ओर से श्रवण सैनी उपस्थित। इस वाद में आज दिनांक 13.09.2021 को श्री शैलेश खैरवा, उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादी सिद्व नही होने पर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा सहित जारी की गई।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	00
स्टाम्प वकालतनामा	46	स्टाम्प अर्जी दावा	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनतनामा वकील	
मेहनतनामा वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुक्मनाम	
बाबत इजराय हुक्मनाम		मुतफरिक	00
योग	48		

उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू